लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 प्रशिक्षण

सामान्य निर्देश

- 1. पीठासीन अधिकारी रवानगी स्थल पर पहुँचकर मतदान सामग्री प्राप्त करेगें तथा प्राप्ति रसीद के अनुसार सामग्री का मिलान करें।
- 2. प्राप्त समस्त सामग्री के बारे में यह सुनिश्चित कर ले कि सामग्री उसी बूथ की है जिस बूथ पर निर्वाचन कराने हेतु आपकी तैनाती की है।

वोटिंग मशीन, वीवीपैट तथा वीएसडीयू




कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट



3. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा VVPAT को आपस में जोडकर देख ले कि वह सही काम कर रही है और बैटरी बैकअप हाई है।



4. प्राप्त मतदाता सूची को चैक करेंगे कि उसका कोई पृष्ठ कोरा व मिस तो नहीं है यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे प्राप्ति काउन्टर से पूर्ण करा ले।



5. अपने सैक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराते हुए नियत वाहन में बैठकर तैनाती स्थल पर प्रस्थान करेंगे।




- 6. मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदान स्थल का निरीक्षण कर लें उक्त स्थल पर कोई प्रचार सामग्री तो नहीं लगी, यदि लगी है तो उसको हटवा ले।
- 7. मतदान स्थल पर देख लें समस्त आवश्यक व्यवस्थाये यथा पर्याप्त फर्नीचर, पर्याप्त प्रकाश एवं बेरीकेटिंग आदि पूर्ण है या नहीं। यदि व्यवस्था में कोई कमी है तो वहां पर तैनात कर्मी / सैक्टर मजिस्ट्रेट / तहसीलदार को अवगत कराते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- 8. अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर समस्त प्रपत्रों, लिफाफो व निर्देशों का समयक अध्ययन कर लें। जो सूचनाऐं पूर्व से भरी जा सकती है उनको पूर्ण कर ले।
- 9. मतदान स्थल पर उपस्थित अथवा संपर्क करने वाले मतदान अभिकर्ताओं को अवगत करा दे कि वह मतदान आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व उपस्थित हो जायें।
- 10. मतदान स्थल पर किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें तथा धूम्रपान व नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहे।
- 11. समस्त निर्वाचन सामग्री की अभिरक्षा के साथ अपने मतदेय स्थल पर ही रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करें।

- 12. यदि आपकी पार्टी में कोई महिला कार्मिक तैनात तो उसके लिये आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आपका नैतिक एवं अभिभावकीय उत्तरदायित्व रहेंगा।
- 13. समस्त पोलिंग पार्टी सुबह 5 बजे जाग कर दैनिक कृत्यों से निवृत्त होते हुए निर्वाचन की तैयारी आरम्भ कर दें।
- 14. मतदान स्थल पर महिला, पुरूषों की लाईन बाहर आने का रास्ता के बोर्ड सुसंगत स्थल पर टांग दे।
- 15. मतदान स्थल की विशिष्टियां/निर्वाचन लंड रहे उम्मीदवारों की सूची एवं वोटर लिस्ट की एक प्रति मतदान स्थल के बाहर टांग दें।

- 16. मतदान केन्द्र पर आने वाले पोंलिंग ऐजेन्ट से उनकी नियुक्ति का प्रारूप 10 उनसे मतदान की गोपनियता की शपथ पर हस्ताक्षर कराते हुए अपने पास रख लें तथा उनकों अपने हस्ताक्षर से पास जारी कर दें। जिसको पिन के माध्यम से उनको अपनी पॉकेट के ऊपर टांगे रखेगें।
- 17. बैलेट यूनिट एवं VVPAT को वोटिंग कम्पार्टमेंट में तथा कंट्रोल यूनिट एवं VSDU (यदि VVPAT से अलग है) को पीठासीन अधिकारी अपनी टेबिल पर रख ले।
- 18. बैलेट यूनिट, कट्रोल यूनिट, VVPAT, VSDU की वायर इस तरह फैलायी जाये की मतदाताओं को उसके ऊपर कूदकर न जाना पडें।
- 19. मतदान अधिकारी प्रथम प्रवेश द्वार के पास तदोपरान्त मतदान अधिकारी द्वितीय व मतदान अधिकारी तृतीय अपना स्थान ग्रहण कर ले।

Model Layout of Polling Station



पीठासीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी मतदेय स्थल का प्रभारी होगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ताओं से उनका नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 प्राप्त करेगा तथा अनुलग्नक 1 में मतदान अभिकर्तागण की सूची तैयार करेगा। मतदान आरम्भ होने से पूर्व मतदान केन्द्र की विशिष्टियाँ एवं उम्मीदवारो की सूची मतदान केन्द्र के बाहर लगायेगा। मतदान के दौरान तथा मतदान के उपरांत समस्त प्रपत्रो को तैयार का सामग्री संग्रह केन्द्र पर जमा कर अपने अधीनस्थ मतदान कार्मिकों को अवमुक्त करेगा तथा स्वयं को सैक्टर मजिस्ट्रेट से अवमुक्त करायेगा।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन मतदान केन्द्र की सूचना

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम
पोलिंग स्टेशन का नम्बर तथा नाम

मतदान क्षेत्र

1.	
2.	
3.	
Л	

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ता

- 1. उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिये एक मतदान अभिकर्ता तथा दो अवमुक्त अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है।
- 2. मतदान अभिकर्ता अपना नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 पर लेकर मॉक पौल से पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। पीठासीन अधिकारी प्रारूप 10 की घोषणा पर हस्ताक्षर कराते हुए नियुक्ति पत्र अपने पास रख लेगा तथा मतदान अभिकर्ता को अपने स्तर से पास जारी कर देगा।
- 3. मतदान अभिकर्ता तैनात बूथ / निर्वाचन क्षेत्र के अधीन आने वाले पड़ोसी मतदान केन्द्र क्षेत्र का वोटर होना चाहिये
- 4. मतदान अभिकर्ता के पास ईपिक या अन्य कोई पहचान पत्र होना चाहिये।

प्ररूप 10

(नियम 13(2) देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

	लोकसभा के लिए निर्वाचन
脊	जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ /
का जो उपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यथी हैं। वि	नेर्वाचन अभिकर्ता हूँ। एतद् द्वारा
. (नाम और पता) को	
	गए नियत स्थान में हाजिर रहने
के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता	हूँ।
स्थान	
तारीख	अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
मैं ऐसे मतदान अभिकत	र्गा के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
स्थान	
तारीख	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने व	ाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उ	परिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128
द्वारा जो मैने पढ ली हैं/जो मुझे पढकर सुना दी ग	ाई है, निषिध कोई बात न करूँगा।
स्थान	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई	
तारीख	पीतासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक—1

पोलिंग एजेन्ट को जारी किये जाने वाले प्रवेश पास का लेखा

1.	लोक सभा / विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम
2.	मतदान केन्द्र की संख्या व नाम
3.	चुनावी सामग्री के साथ कुल प्राप्त प्रवेश पत्रो की संख्या
4.	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या
5.	पोलिंग एजेन्ट को जारी किये जाने वाले प्रवेश-पत्र का विवरण

उम्मीदवार का नाम	क्या प्रवेश पत्र जारी किया गया	मतदान अभिकर्ता / सहायक अभिकर्ता के हस्ताक्षर

6. अप्रयुक्त प्रवेश पास

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित

निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारो की सूची

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

हस्ताक्षर रिटर्निंग आफिसर

मॉक पोल

- 1. मतदान आरम्भ होने के एक घण्टा पूर्व 2 मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक पोल की कार्यवाही आरम्भ की जानी है यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो 15 मिनट के इन्तजार के बाद मॉक पोल आरम्भ किया जायेगा।
- 2. मॉक पोल के समय कम से कम दो मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता के साथ वोटिंग कम्पार्टमेंट में उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारी के द्वारा बैलेट जारी किया जायेगा तदोपरान्त मतदान अभिकर्ता द्वारा उम्मीदवारों एवं नोटा के सामने का नीला बटन दबाकर मतदान किया जायेगा इस मतदान का लेखा मतदान कार्मिकों द्वारा रखा जायेगा।
- 3. प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक वोट डालना आवश्यक है मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जायेंगे।
- 4. मॉक पोल पूर्ण होने के उपरान्त क्लोज बटन दबाकर मॉक पोल बन्द किया जायेगा।

- 5. क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ई0वी0एम0 का रिजल्ट बटन दबाकर प्रदर्शन पैनल से मॉक पोल का परिणाम प्राप्त किया जायेगा।
- 6. मॉक पोल का परिणाम प्राप्त होने के बाद VVPAT से प्राप्त पर्चीयों अथवा मतदान कर्मियों द्वारा तैयार किये गये लेखे से मिलान करते हुए पोलिंग ऐजेन्टों को यह दर्शाया जायेंगा कि ई0वी0एम0 में जितने वोट डाले गये थे उतने ही वोट परिणाम में मशीन द्वारा दर्शाये गये हैं।
- 7. मतदान अभिकर्ताओं के सन्तुष्ट होने पर ई0वी0एम0 का क्लीयर बटन दबाकर डाले गये मतों को शून्य कर देंगे।
- 8. मॉक पोल क्लीयर करने के बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा मॉक पोल प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ताओं व मतदान कर्मिकों का हस्ताक्षर किया जायेगा।

दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैने	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान
केन्द्र संख्या में पीठासीन अधिकारी, भारत निर्वाचन अ	भायोग द्वारा जारी सभी अनुदेशो का
निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हुए आज दिनांक बर	जे दिखावटी मतदान का संचालन
किया।	
उपयोग में लायी गयी	
CU की क्रम संख्या (जैसा कि CU के पीछे अंकित है)	
BU की क्रम संख्या (जैसा कि BU के पीछे अंकित है)	
VVPAT की क्रम संख्या (यदि उपयोग में लायी गयी)	
1. प्रत्येक प्रत्याशी व NOTA सिहत कुल पड़े मतो की संख्या	
2. यह सत्यापित किया गया कि जब सही प्रत्याशी / NOTA	का बटन दबाया गया तब LED लाइत
जल रही थी तथा बीप की आवाज सही प्रकार से सुनाई दे र	ही थी।

3. दिखावटी मतदान के सक्षम प्रत्याशी वार डाले गये मतो का विवरण व परिणाम निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रत्याशी का नाम	दिखावटी मतदान के समय डाले गये मतो की संख्या	परिणाम के समय CU पर प्रदर्शित मतो की संख्या	दिखावटी मतदान परिणाम की जांच के छपी हुई रसीद गणना के अनुसार की संख्या(यदि VVPAT प्रयोग में लायी गयी है)	डाले गये मत तथा प्रदर्शित परिणाम और छपी हुई रसीद (VVPAT उपयोग में लायी गयी) एक दूसरे से मिलान किया गया हाँ / नहीं
	NOTA				
	कुल				

- 4. मैने दिखावटी मतदान के बाद EVM की मैमोरी को क्लियर कर दी है तथा Total का बटन दबाकर '0' प्रदर्शित होना देखकर मैमोरी क्लियर होना सत्यापित कर लिया है।
- 5. प्रत्याशी जिनके नामो के समक्ष उनके मतदान अभिकर्ता के नाम प्रदर्शित हैं वे मतदान अभिकर्ता दिखावटी मतदान के समय उपस्थित थे और मैने उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं।

क्र.सं.	मतदान अभिकर्ता का नाम	दल का नाम	प्रत्याशी का नाम	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

दिखावटी मतदान के समय कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था / केवल एक ही प्रत्याशी का मतदान अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट के बाद अन्य मतदान अधिकारियों के साथ बजे उम्मीदवार के नाम के साथ अभिकर्ता का नाम दर्ज किया।

माइक्रोआब्जर्वर के हस्ताक्षर (यदि मतदेय स्थल पर नियुक्त है)

दिनांक


पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

समय

मतदान स्थल का नाम व संख्या

स्पेशल टैग:-


स्पेशल टैग से कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन वाले सैक्शन को सील किया जाता है। स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रमांक भी लिखा जाता है। स्पेशल टैग पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को भी हस्ताक्षर करने की अनुमित प्रदान करेगा। पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग का नम्बर नोट करेगा तथा उपस्थित अभिकर्ताओं को स्पेशल टैग का नम्बर नोट करने की अनुमित प्रदान करेगा।





ग्रीन पेपर सील से कंट्रोल यूनिट को सील करना:-

मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट को क्लीयर कर दें क्लीयर करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर से सील किया जाना है सील करने से पूर्व कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर दें। जिससे सील करते समय किसी बटन के दबने पर मशीन अनावश्यक निर्देश ना प्राप्त करें। ग्रीन पेपर सील को कंट्रोल यूनिट में लगाने के लिए ग्रीन पेपर सील का हरा भाग उपर रखा जायेगा तथा हरा भाग ऊपर रखते हुए रिजल्ट सैक्शन के दोनों छिद्रों से उसे गुजारे तथा रिजल्ट सैक्शन की खिडकी को बन्द कर दें तदोपरान्त पीठासीन अधिकारी उस पर अपना हस्ताक्षर करे तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से भी ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर लें।





Closing and Sealing of outer cover of result section

Attach address tag

Election To: (Lok Sabha or Legislative Assembly)

From: (No. and Name of)

Constituency

Control Unit/ Balloting Unit No.: (ID number)

Serial No. & Name of Polling Station Where Used

Date of Poll:



Strip seal

FRONT	Α	В	D
BACK SIDE		C	









Switch on Power using Toggle Switch



मतदान अधिकारी प्रथम

मतदाता सर्वप्रथम मतदान अधिकारी प्रथम के समक्ष आयेगा। यह मतदान अधिकारी मतदाता सूची की कार्यप्रति का कार्यप्रभारी होता है तथा मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी है मतदाता के उपस्थित होने पर मतदान अधिकारी मतदाता का नाम जोर से पुकारेगा यदि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा उसकी पहचान को चुनौती नहीं दी जाती है तो मतदान अधिकारी मतदाता सूची की कार्यप्रति में उसके नाम को रेखाकिंत करेगा। यदि महिला मतदाता है तो (टिक) का निशान भी लगायेगा एवं उसे मतदान अधिकारी, द्वितीय के पास भेज देगा।

बी0एल0ओ0 पर्ची

प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त बी०एल०ओ० पर्ची बूथ लेवल आफिसर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसका उददेश्य यह है कि प्रत्येक निर्वाचक यह जान सके कि उसे किस बूथ पर मतदान करने हेतु जाना है एवं उस बूथ की निर्वाचक नामावली के किस क्रमांक पर उसका नाम अंकित है। बी०एल०ओ० पर्ची पर बी०एल०ओ० का हस्ताक्षर भी आवश्यक है।

नोट :— बी०एल०ओ० पर्ची के साथ एक अन्य वैद्य पहचान पत्र आवश्यक है।

वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज

- 1. पासपोर्ट
- 2. ड्राइंविंग लाइसेन्स
- 3. राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
- 4. बैंको / डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- 5. पैन कार्ड
- 6. आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट काड़
- 7. मनरेगा जॉब कार्ड
- 8. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
- 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- 10. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
- 11. सांसदो, विधायको / विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
- 12. आधार कार्ड

मतदान अधिकारी द्वितीय:--

मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदाता रजिस्टर प्रारूप (17क), अमिट स्याही एवं मतदाता पर्ची का प्रभारी है। मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मतदाता की पहचान किए जाने के पश्चात मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा, द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में मतदाता का मतदाता सूची क्रमांक लिखेगा तत्पश्चात मतदाता रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्राप्त करेगा। तत्पश्चात मतदाता को मतदान पर्ची जारी करेगा। बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने का दायित्व भी मतदान अधिकारी, द्वितीय का है।

मतदाता रजिस्टर में निम्न प्रविष्टियां दर्ज होगी:-

- 1. मतदाता यदि मतदाता पहचान पत्र दिखाता है तो एपिक लिखते हुए उसके अंतिम चार अंक दर्ज करें।
- 2. यदि एपिक के अलावा अन्य अनुमन्य पहचान का साक्ष्य लाता है तो उस साक्ष्य का उल्लेख करते हुए उस पहचान पत्र के रजिस्ट्रेशन नम्बर को दर्ज करेगा।
- 3. यदि मतदाता शिफटिड वोटर की श्रेणी में है तो उसी के अनुसार प्रविष्टि करे।
- किसी भी दशा में प्रारूप 17(क) के अभ्युक्ति कॉलम को रिक्त नहीं छोडा जायेगा।

मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह मतदाता रिजस्टर 17(क) की अन्तिम प्रविष्टि के नीचे एक लाईन खीचते हुए प्रमाण पत्र अंकित करेगा, कि इस रिजस्टर में अन्तिम क्रम संख्या पर जिस मतदाता ने मतदान किया है उसकी क्रम संख्या यह है।

इस प्रमाण पत्र के पश्चात पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा एवं उपस्थित प्रत्याशियों के एजेण्टस से हस्ताक्षर भी करायेगा।

प्रारूप 17 क मतदाता रजिस्टर

	,	· •			_0_	<u> </u>		\sim		_				
लाकसभा	/ रात्म	/ सप्त	रात्रा	워지	का	विशेष स्टब्स	ा का	ातवारात		<u>ਹ</u>				
									2.0					
ानवाचक १	범죄 편 0	एत स	तदान	कन्द	का	नाम			ानवाचन	नामावला	का	भाग	रम्	
1 14144,	41 /1 VIV	2 A . I	VI X I I I	7' X	7/1				1 1717 1	1171119711	4/1	4111.1	\IU	

क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या	निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक का हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1434	एपिक	हस्ताक्षर किए	मतदान न करने का निर्णय लिया।
2				

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट—यदि निर्वाचक (मतदाता) मतदाता रिजस्टर के कॉलम 2 एवं कॉलम 3 में प्रविष्टियां दर्ज कराने के उपरान्त मतदान न करने का निर्णय लेता है तो टिप्पणियां कॉलम में उसके पहचान के दस्तावेज को अंकित करते हुए यह भी लिखा जायेगा। कि उसने मतदान करने से मना किया और ऐसी टिप्पणी पर मतदता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान भी लिए जायेगें।

मतदान अधिकारी, तृतीय:-

मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदाता मतदान अधिकारी, तृतीय को मतदान पर्ची देगा, मतदान पर्ची के क्रम में ही मतदान अधिकारी तृतीय मतदाताओं को मतदान कक्ष में मतदान हेतु भेजेगा तथा कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतपत्र ईकाई को सक्रिय करेगा। मतदान कक्ष में भेजने से पूर्व मतदान अधिकारी तृतीय यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता द्वारा अमिट स्याही के निशान को मिटाया तो नहीं गया है यदि अमिट स्याही का निशान मिटा है तो पुनः उसकी बांयी तर्जनी पर अमिट निशान लगायेगा।

विशेष परिस्थितियां

—एक ऐसा मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है जिसके पास अपनी पहचान का साक्ष्य भी है मतदान अधिकारी प्रथम पहचान करने के पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजता है और वह मतदान अधिकारी, द्वितीय के पास जाकर मतदाता रिजस्टर 17 क पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने से मना कर देता है या बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगवाने से मना करता है,

तो ऐसी स्थिति में ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची नही जारी की जायेगी एवं मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम में लिखा जायेगा कि मतदाता ने हस्ताक्षर करने से मना किया। ऐसा मतदाता मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

नोटा

निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 कर नियम 49 ओ मतदाता को मत देने की प्रक्रिया के अन्तिम चरण में मतदान करने से मना करने की अनुमित प्रदान करता है। कोई भी मतदाता पोलिंग स्टेशन में मत देने के लिए प्रवेश करने के बाद अपना पहचान अभिलेख पोलिंग आफिसर को दिखाता है, पहचान की पुष्टि हो जाने के पश्चात बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगवा लेता है और मतदेय स्थल के वोटर रिजस्टर (प्रारूप 17क) पर अपने मतदाता करने के लिए वोटर पर्ची भी प्राप्त कर लेता है परन्तु इसके बाद वह पीठासीन अधिकारी को सूचित करता है कि उसने मत न देने का निश्चय किया है।

ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी उससे मतदाता पर्ची वापस ले लेगा वोटर रजिस्टर के रिमार्क कालम में यह अंकित करेगा कि मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से इन्कार किया और इस प्रविष्टि के नीचे मतदाता के पुनः हस्ताक्षर करा लेगा। इसके बाद सम्बंधित मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में गये बिना पोंलिंग स्टेशन से बाहर जा सकता है।

नियम 49ओ के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई फार्म निर्धारित नहीं है।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन

नियम 49(ओ) के अन्तर्गत मताधिकार न करने वाले निर्वाचको का विवरण

मतदेय स्थल की संख्या व नाम	मतदान का दिनांक
कुल मतदाताओं की संख्या	ऐसे निर्वाचको की संख्या जिन्होने नियम 49(ओ) के

			अन्तगर्त मताधिकार का प्रयोग नहीं किया				
पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग		
1	2	3	4	5	6		

ह0 पीठासीन अधिकारी

चैलेन्ज वोट:-

मतदान कराते समय ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई मतदाता जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो और वहां पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता उसकी पहचान को चैंलेज कर दे ऐसी स्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा ताकि पीठासीन अधिकारी उसका निस्तारण करें एवं सामान्य मतदान बाधित न हो पीठासीन अधिकारी अभिकर्ता से चैंलेज फीस के रूप में दो रूपये जमा करायेगा फिर संक्षिप्त जांच कर यदि आक्षेप सही पाया जाता है तो चैंलेज फीस वापस कर देगा तथा प्रतिरूपण करने वाले मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर देगा तथा प्रथम सूचना रिर्पोट भर कर प्राप्त करा देगा यदि चैलेज सही नही पाया जाता है तो चैंलेज फीस जब्त कर लेगा तथा सामान्य रीति से मतदान करा देगा।

अनुलग्नक 8

चुनौती शुल्क की पावती
क्रम सं0 पृष्ठ सं0.
श्री
अभ्यर्थी / निर्वाचन
अभिकर्ता / मतदान अभिकर्ता से
निर्वाचन का संचालन नियम,
1961 के नियम 36 के अधीन
चुनौती के लिये जमा के कारण
रू० २(दो रूपये) मात्र राशि
नकद में प्राप्त की।
मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन
अधिकारी
तारीख

चुनौती शुल्क के लिए पावती
बुक सं0 पृष्ठ सं0
संसदीय/विधान सभा निर्वाचन
क्षेत्र के मतदान केन्द्र के लिए
पीठासीन अधिकारी का कार्यालय
पीठासीन अधिकारी कार्यालय
संसदीय / विधान सभा निर्वाचन
क्षेत्र का मतदान केन्द्र सं0
केन्द्र

प्ररूप 14 अभ्याक्षेपित मतो की सूची (नियम 36(2)(ग) देखिए)

΄ ' '	\	\	1	\sim $^{\circ}$
निर्वाचन क्षेत्र	सत	नाकसभा व	क ।लए	र निवाचन

...... समूह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.मतदान के स्थान का नाम......

.....

प्रविष्टि का क्रम संख्यांक	निर्वाचक का पूरा नाम	नामावली के भाग का क्रम संख्यांक	उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है, उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेप कर्ता का नाम	पीठासीन आफीसर का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेप कर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपाबन्ध 9

(अध्याय 12)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवा में		
थाना अधिकारी		
~		
	ससदाय निवाचन क्षत्र म शाामल ौर नाम) में प्रतिष	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूपण,
मतदान की तारीख		
महोदय,		
उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आ ने श्री होने का द भाग सं0 में क्रम सं0	क्षेप किया है। जिसे श्री ावा किया है। जिसका नाम पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित	और निवासी ने के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के नहीं कर सका है कि वही उक्त निर्वाचक हैं संहिता, 1860 की धारा 171 घ के अधीन
		भवदीय

पीठासीन अधिकारी

हस्ताक्षर..... तारीख

प्रतिलिपि	रिटर्निंग आफिसर	को	के लि	ए प्रेषित
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	। तथा			
प्रतिलिपि	रिटर्निंग आफिसर	को	के लि	ए प्रेषित
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र त	ाथा			
				हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

रसीद

उपर्युक्तपत्र तथा उसमें संदर्भित व्यक्ति पीठासीन अधिकारी द्वारा (तारीख) को को को (समय) सौंपे गये।

टेंडर वोट:-

जब मतदाता के उपस्थित होने पर प्रथम मतदान अधिकारी यह पाता है कि उसका वोट पहले ही पड चुका है उस परिस्थिति में मतदान अधिकारी मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। पीठासीन अधिकारी मतदाता की संक्षिप्त जांच कर यह निर्धारण करेगा कि वह सही मतदाता है अथवा नहीं, तथा सही मतदाता पाये जाने पर मतपत्र जारी करेगा जिसे ऐरोक्रास रबर मोहर द्वारा मतदाता चिन्हित करेगा तथा इस मतपत्र को निविदत्त मतपत्रों के लिफाफे में रखा जायेगा। 17ख प्रारूप पर पीठासीन अधिकारी इसकी सूचनाएं अंकित करेगा।

प्ररूप 17ख

(नियम 49 त देखिए)

लोकसभा	/ राज्य /	⁄ संघ	राज्य ह	क्षेत्र व	ी विधान	सभा क	ा निर्वाचन		से		
निर्वाचक	क्षेत्र सं0	एवं	मतदान	केन्द्र	का नाम			निर्वाचन	नामावली	का भाग	सं0

क्रम सं0	निर्वाचक का पूरा नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17क) क्रम संख्यांक जिसमें निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
1				
2				
3				
4				

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

अप्राप्तवय मतदाता

मतदान अधिकारी प्रथम के पास यदि कोई ऐसा मतदाता है जो दिखने में अव्यस्क हो लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल हो, मतदान करने हेतु आता है तो मतदान अधिकारी प्रथम ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। पीठासीन अधिकारी उससे आयु के संबंध में उपाबंध 10 पर घोषणा प्राप्त करेगा और उपाबंध 11 के भाग 1 में ऐसे मतदाता का विवरण दर्ज कर मतदाता को वोट डालने हेतु अनुज्ञात करेगा। यदि मतदाता घोषणा करने से मना करता है तो उसका अंकन उपाबंध 11 के भाग 2 में करते हुए उससे मतदान नहीं करायेगा।

उपाबंध 10

(अध्याय 15, पैरा 9 में देखिये)

निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 20....... की प्रथम जनवरी को अर्थात अर्हता की उस तारीख के जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार / पुनरीक्षित की गयी थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी।

मुझे निर्वाचक नामावली या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे जानकारी है।

	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
नाम : पिता / मार्	ता / पति का नाम
	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या
तारीख	निर्वाचक की क्रम संख्या
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी	ो निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की
घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।	
तारीख	हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी
	मतदान केन्द्र की संख्या और नाम

उपाबंध 11

/		4		10 1
(अध्याय	40	ПОП	40 2	ZIJAII\
(जव्याप	IO.	47	IU.a	GIGG
\-· · · · ·	/	- V-		3/

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से	के लिए	निर्वाचन
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम		

भाग — 1 उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणायें प्राप्त की गयी हैं।

क्रम सं0	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
आदि				

तारीख	
VIII VII EI	

उपाबंध 11

(अध्याय 15, पैरा 9.2 देखिए)

भाग — 2 उन मतदाताओं की सूची, जिन्होने आयु के संबंध में घोषणा करने से इन्कार कर दिया है।

क्रम सं0	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1 2 3 4 5				
आदि				

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

निरक्षर/अन्धे / शिथिलांग मतदाता

मतदान केन्द्र पर उपस्थित अन्धे व शिथिलांग मतदाता जो मतदान करने में असर्मथ हों, पीठासीन अधिकारी द्वारा सहायक उपलब्ध कराया जायेगा, जो मतदाता की ओर से मतदान करेगा। सहायक का बालिग होना आवश्यक है तथा एक व्यक्ति मतदान दिवस पर केवल एक बार सहायक बन सकता है। ऐसी स्थिति में सहायक से उपाबंध 12 पर मतदान की गोपनीयता के संबंध मे घोषणा पत्र भरवाया जायेगा और ऐसे मतदाताओं की सूची प्ररूप 14 क पर तैयार की जायेगी तथा सहायक को बायें हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जायेगी।

उपाबंध 12

(अध्याय 19, पैरा 1.3 देखिए)

अन्धे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

मतदान केन्द्र	ग संख्यांक और नाम
मैं	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयु	वर्ष निवासी घोषणा
करता हूँ कि:–	
क.	मैने आज तारीख को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य
	निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।
ख.	मैं की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूँगा।
	साक्षी के हस्ताक्षर

यहाँ पूरा पता लिखा जाए

डिजिटल कैमरा:-

चिन्हित मतदान केन्द्रो पर डिजिटल कैमरा संचालन करने वाले मतदान अधिकारी लगाये गये है इनके कार्य निम्न प्रकार से होंगे:—

- 1. मॉक पोल का चित्र लेना।
- 2. मतदान से पूर्व बैलेट यूनिट के स्थान व कम्पार्टमेन्ट का चित्र लेना।
- 3. पोंलिंग एजेण्टस का चित्र लेना।
- 4. मतदाता रजिस्टर (17क) में दर्ज क्रमानुसार मतदाताओं की उसी क्रम में फोटों लेना जिस क्रम में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे है।
- 5. प्रत्येक व्यक्ति / उम्मीदवार / प्रेक्षक / ऐसे मीडिया के लोग जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया हो, का चित्र लेना।
- 6. मतदान समाप्ति पर कंट्रोल/बैलेट यूनिट को सील किए जाने का चित्र।

सैक्टर मजिस्ट्रैट

आपके क्षेत्र के सैक्टर मजिस्ट्रैट द्वारा पूर्व से व्यापक भ्रमण किया जा चुका है सैक्टर मैजिस्ट्रेट से आप निम्न सूचनाओं को प्राप्त कर सकते है—


- 1. यदि आपके पास किसी सामग्री की कोई कमी है तो सैक्टर मजिस्ट्रैट आपको उपलब्ध करा देंगे।
- 2. माइक्रोआब्जर्वर के सम्बन्ध में सूचना सैक्टर मिजस्ट्रैट प्रदान कर देंगे।
- 3. सैक्टर मजिस्ट्रैट का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर लें जिसका आवश्यकता पडने पर वार्ता कर सकते है।
- 4. क्षेत्र की संवेदनशीलता का लेकर क्या विशेष सावधानिया रखी जायें यह भी सूचना आप प्राप्त कर सकते है।

मतदान समाप्ति

निर्धारित समय तक उपस्थित हो चुके पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पीठासीन अपने हस्ताक्षर से युक्त पर्ची बाँटेगा और 1 नंबर की पर्ची अन्तिम मतदाता को देगा। अन्तिम मतदाता के मतदान करने के बाद कन्ट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर उपाबंध 7 के भाग तीन में मतदान समाप्ति की घोषणा की जायेगी तथा इलैक्ट्रॉनिक वोंटिग मशीन को सील किये जाने के उपरांत उपाबंध 7 के भाग 4 पर ई0वी0एम0 को सील बन्द करने की घोषणा की जायेगी।

AUTOMATIC SEQUENCE OF MESSAGES ON DISPLAY DURING CLOSE

1



Open the **CLOSE** button cap



Election Commission of India

CU displays "CLOSING"

AUTOMATIC SEQUENCE OF MESSAGES ON DISPLAY DURING CLOSE (contd...)



CU displays Date & Time



CU displays Serial Number



CU displays number of candidates

AUTOMATIC SEQUENCE OF MESSAGES ON DISPLAY DURING CLOSE (contd...)


7



CU displays Total votes polled



CU displays Poll Closed



10

Close the cap and Put OFF the switch on CU

प्ररूप 17 ग

(नियम 49 फा और 56 ग(2) देखिए)

भाग-1 दर्ज किये गये मतो का लेखा

राज्य / सं संसदीयनर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।	घ राज्य क्षेत्र की लोकसभा / विधानसभा	के लिए
मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम		
मतदान केन्द्र में प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान	सं0 कन्ट्रोल यूनि	ट सं0
बैलेटिंग यूनिट सं0	प्रिन्टर स0	
1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचको की कुल संख	थ्या :	
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में दर्ज मतदात	ाओं की कुल संख्या :	
3. नियम 49 ण के अधीन मतदान दर्ज न करने क	ग विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की	संख्या :
4. ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49 ड व	के अधीन मतदान की अनुमति नहीं दी '	गई :
5. नियम 49 एम ए (घ) के अधीन दर्ज जांच मतो	का घटाया जाना अपेक्षित है :	
(क) धटाये गये कुल मतो की संख्या		
(ख) अभ्यर्थी जिनके लिए जांच मत ड	ाले गये:	
क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	मतो की सं0
1		
2		
3		

योग

6. वोटिंग मशीन के अनुसार दर्ज मतो की	वित्रुल संख्या	
7. क्या मद 6 के सामने यथा प्रदर्शित मत	गे की कुल संख्या मद 2 के सामने	ो यथा प्रदर्शित मतदाताओं की कुल संख्या
– मद 3 के सामने मतो को रिकार्ड न	न करने का विनिश्चिय करने वाले	मतदाताओं की कुल संख्या – मद 4 अर्थात
(2-3-4) के सामने मतदाताओं की सं	ख्या से मेल करती है या इसमें क	ोई फर्क पाया गया है।
8. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निर	पम 49 त के अधीन निविदत्त मतप	1त्र जारी किए गये।
9. निविदत्त मतपत्रो की संख्या क्रम संख्य	ग से	तक
(क) प्रयोग के लिए प्राप्त		
(ख) निर्वाचक को जारी किए गये		
(ग) प्रयोग न किए गये और वापस किए	गये	
9. पेपर सीलं का लेखा		
क्रम संख्या	से	तक
		मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1. प्रदाय की गई कागज की सीलों की स	गंख्या	1
क्रम संख्या से	तक	2
2. प्रयुक्त पेपर सीलो की संख्या		3
3. रिटर्निंग आफीसर को वापस की गई अ	म्प्रयुक्त कागज की	
सीलो की संख्या		4
4. नष्ट हुई कागज की सीलो के क्रमांक,	यदि कोई हो	5
तारीख		पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान		मतदान केन्द्र संख्या

मतदान के अन्त में घोषणा

मैने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49घ(2) के अधीन यथा—आपेक्षित प्रारूप 17 ग के भाग—1 रिकार्ड किये गये मतो का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक—एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

तारीख	हस्ताक्षर
समय	पीठासीन अधिकारी
मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:	
1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	6. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	8. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
9. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	10. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता
निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने	हस्ताक्षर करने से इंकार किया
1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
तारीख	हस्ताक्षर
समय	पीठासीन अधिकारी

मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा

मतदान मशीन की निंयत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसो पर मैने मेरी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तारीख	हस्ताक्षर
	पीठासीन अधिकारी
मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर:	
1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	6. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	8. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
9. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	10. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इंकार	र किया या मुद्रा नहीं लगानी चाही।
1. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	2. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)	4. (अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
तारीख	हस्ताक्षर
समय	पीठासीन अधिकारी

निर्वाचन से सम्बन्धित कागज पत्रों के मुहरबन्द किये जाने के संबंध में निर्देश

मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान से सम्बन्धित निर्वाचन कागज पत्रो / सामग्री के पैकेट निम्न अनुसार तैयार किये जायें।

प्रथम पैकेट - सांविधिक लिफाफा (हरे रंग के कवर में)

प्रथम पैकेट जिसमें वर्णित मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उन पर सांविधिक लिफाफा लिखा होना चाहिए, हरे रंग के कवर (आवरण) में रखे जायेंगें।

- 1. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबंद लिफाफा
- 2. मतदाताओं के रजिस्टर (फार्म 17-क) का मुहरबंद लिफाफा
- 3. मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा
- 4. अप्रयुक्त निविदत्त मत पत्रो का मुहरबंद लिफाफा
- 5. प्रयुक्त निविदत्त मत पत्रो एवं फार्म—17 ख में सूची का मुहरबंद लिफाफा

द्वितीय पैकेट - असांविधिक लिफाफा (पीले रंग के कवर में)

द्वितीय पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे जिन पर असांविधिक लिफाफा लिखा होना चाहिए, पीले रंग के कवर (आवरण) में रखे जायेंगें। इस पैकेट में केवल प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित / चुनौती (टैण्डर) दिये गये मतो की सूची का लिफाफा ही मुहरबन्द किया जायेगा।

- 1. निर्वाचक नामावली की प्रति (चिन्हित प्रति से भिन्न) का लिफाफा
- 2. प्ररूप 10 में मतदाताओं के नियुक्ति पत्र का लिफाफा
- 3. प्ररूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्रो का लिफाफा
- 4. प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित / चुनौती (चैलेंज) दिये गये मतो की सूची का मुहरबंद लिफाफा।
- 5. प्ररूप 14 क में अन्धे और शिथिलांग / अशक्त निर्वाचको की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा
- 6. निर्वाचको से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचको की सूची का लिफाफा (उपाबंध 11)
- 7. चुनौती (चैलेंज) दिये गये मतो के संबंध में रसीद बुक व नकद आदि कोई हो, का लिफाफा।
- 8. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील का लिफाफा।
- 9. अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा।
- 10. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा।
- 11. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील का लिफाफा।

तृतीय पैकेट — असांविधिक लिफाफा (भूरे रंग के कवर में)

तृतीय पैकेट में निम्नलिखित मदें होनी चाहिए।

- 1. पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका।
- 2. इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन की निर्देशिका
- 3. अमिट स्याही सैट
- 4. स्टाम्प पैड
- 5. पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर (पीतल की मोहर)
- 6. निविदत्त मतपत्रो को चिन्हित करने के लिए एरोक्रास मार्क रबड़ की मोहर।
- 7. अमिट स्याही रखने वाला कप।

चर्तुथ पैकेट — असांविधिक लिफाफा (नीले रंग के कवर में)

अन्य सभी मदें यदि कोई हों तो चर्तुथ पैकेट में बंद की जानी चाहिए।

मतदान के बाद निर्वाचन रिकार्ड तथा सामग्री वापस करने की पावती (दो प्रतियों में तैयार की जानी है)

...... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या.....

- 1. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन
 - (1) सीलबंद इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन सं0
 - (2) अप्रयुक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन सं.
- 2. आवरण जिसमें पेपर सील का लेखा जोखा अंतर्विष्ट है।
- 3. आवरण जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणा अंतर्विष्ट है।
- 4. आवरण जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी अंतर्विष्ट है।
- 5. पैकेट :--
 - (क) पैकेट संख्या 1 सांविधिक आवरण (हरे रंग का)
 - (1) सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति अंतर्विष्ट है।
 - (2) सीलबंद आवरण जिसमें मतदाताओं का रजिस्टर अंतर्विष्ट है। (प्ररूनप 17 क)
 - (3) सीलबंद आवरण जिसमें मतदाता पर्चियां अंतर्विष्ट हैं।
 - (4) सीलबंद आवरण जिसमें अप्रयुक्त निविदत्त मत-पत्र अंतर्विष्ट है।
 - (5) सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त निविदत्त मत-पत्र तथा 17 बी में सूची अंतर्विष्ट है।

- (ख) पैकेट संख्या 2 गैर सांविधिक आवरण (पीले रंग का)
 - (1) सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की प्रति अथवा प्रतियां अंतर्विष्ट है।(चिन्हित प्रति को छोड़कर)
 - (2) सीलबंद आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्ररूप-10 में अंतर्विष्ट है।
 - (3) सीलबंद आवरण जिसमें प्ररूप 12 ख में निर्वाचन डयूटी प्रमाणपत्र अंतर्विष्ट हैं।
 - (4) सीलबंद आवरण जिसमें अभ्याक्षेपित मतो की सूची अंतर्विष्ट है।
 - (5) सीलबंद आवरण जिसमें दृष्टिविहीन तथा अशक्त निर्वाचको की सूची प्ररूप 14 क तथा साथी की घोषणा अंतर्विष्ट है।
 - (6) सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक से उनकी आयु के सम्बन्ध में प्राप्त घोषणाएं तथा ऐसे निर्वाचकों की सूची अंतर्विष्ट है।
 - (7) सीलबंद आवरण जिसमें अभ्याक्षेपित मतो के संबंध में रसीद—बही तथा नकद, यदि कोई हों, अंतर्विष्ट है।
 - (8) आवरण जिसमें अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त पेपर सील अंतर्विष्ट हो।
 - (9) आवरण जिसमें अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां अंतर्विष्ट हो।
 - (10) आवरण जिसमें अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त विशेष टैग अंतर्विष्ट हों।
 - (11) आवरण जिसमें अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील अंतर्विष्ट हों।

- (ग) पैकेट संख्या 3:- (भुरे रंग का)
 - (1) पीठासीन अधिकारी के लिए हैण्डबुक
 - (2) इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए अनुदेशों की नियमावली
 - (3) अमिट स्याही सेट
 - (4) स्टाम्प पैड
 - (5) पीठासीन अधिकारी के लिए पीतल की सील
 - (6) निविदत्त मत पत्रो को चिन्हित करने के लिए तीर के क्रास मार्क रबड़ की मोहरें
 - (7) अमिट स्याही रखने हेतु प्याला
- (घ) पैकेट संख्या 4:-- (नीले रंग का)
 - (1) आवरण जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा अंतर्विष्ट है
 - (2) अप्रयुक्त कैनवास थैले / कपड़े
 - (3) आवरण जिसमें कोई अन्य पेपर अंतर्विष्ट हों जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा सीलबंद पैकेट में रखे जाने हेतु निर्देशित किए गए हों।
 - (4) सभी अन्य मदों, यदि कोई हो, को चौथे पैकेट में पैक किया जाना चाहिए। सौंपा गया प्रभार लिया गया

विजिट शीट (निम्न प्रारूप पर अंकित की जानी है)

Day of Poll
Name & Number of Assembly
Name & Number of Polling Station
Number of Elector

S.N.	Name and Designation of the officer visiting(observer /DEO/ RO/ ERO/ Sector Magistrate/ Zonal Magistrate/ Patroling Magistrate	Time of Visit	Bried description of polling process	Number of votes polled till the time of visit	% polled till the time of visit	Remarks	Signatu re of the officer

Signature of the Presiding Officer(with date

- मतदेय स्थल क्रमांक	० सी. पी. एफ. की नियुक्ति हाँ ∕ नहीं	 माइक्रो पर्यवेक्षक की नियुक्ति हाँ ∕ नहीं 	 वीडियो कैमरा व्यवस्था 	क कुल मतदाता	の कुल मत डाले गये	५ मतो का प्रतिशत	∞ कुल उम्मीदवारो की संख्या	ာ अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवार की संख्या	मतदाता जिन्होने ईपीआईसी के अलावा अन्य उ दस्तावेजो द्वारा मतदान किया	_ नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया ने गया हाँ/नही	ठ नकली मतदान क्लियर किया हाँ ∕ नहीं	တ्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवम् मुहरबंद किया गया?	क्या 17 ग मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया?	ें ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होने 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													ोन अधिकाः		

उपाबन्ध 15

(अध्याय ९, पैरा 10)

विशेष

निम्न सामग्री को संग्रह केन्द्र (रिसीविंग सेन्टर) सौंपा जायेगा।

- 1. वोटिंग मशीन (कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलैट यूनिट) तथा VVPAT
- 2. रिकार्ड किये गये मतो का लेखा तथा पेपर सील का लेखा। (फार्म 17ग)
- 3. पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं वाला आवरण
- 4. पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला आवरण
- 5. विजिट शीट
- 6. 16 बिन्दु पर्यवेक्षक रि<u>पोर्ट</u>
- 7. प्रथम पैकेट जिस पर "सांविधिक आवरण" लिखा हो (5 आवरण युक्त)
- 8. दूसरा पैकेट जिस पर "गैर सांविधिक आवरण" लिखा हो (11 आवरण युक्त)
- 9. तीसरा पैकेट जिसमें निर्वाचन सामग्रियों की 7 मदें शामिल हैं।
- 10. चौथा पैकेट जिसमें अन्य सभी मदें, यदि कोई हों।

मतदान डयूटी प्रमाण पत्र (मतदान दल)

प्रमाणित	ि किया जाता है कि श्री	पद				
कार्यालय का नाम		उनके हस्ताक्षर नीचे अभिप्रम	नाणित हैं, दिनांक			
	से दिनांक तक मेरे साथ निम्नलि	ाखित पोलिंग स्टेशन पर रहे	:			
निर्वाचन क्षेत्र	पोलिंग स्टेशन का नाम	डयूटी की तिथि	पार्टी नं0			
1	2	3	4			
1.						
2.						
3.						
4.						
हस्ताक्षर मतदान अधि	व्रकारी	हस्ताक्षर प्रिजाइडिंग आफीसर				
अभिप्रमाणित		दिनांक				

हस्ताक्षर प्रिजाइडिंग आफीसर

पीठासीन अधिकारी

मतदान डयूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री		पद
कार्यालय का नाम	ने दिनांक	से दिनांक
तक पोलिंग पार्टी संख्या	के पीठासीन अधिकारी के रूप	में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
में पोलिंग स	टेशन पर क	ार्य किया।

दिनांक

हस्ताक्षर सैक्टर मजिस्ट्रेट/ सहा० रिटर्निंग आफीसर

